ग्राम– पहाडिया खुर्द तहसील अतर्रा जनपद बांदा में 7.64 हे0 के क्षेत्रफल मे प्रस्तावित सैंड/मौरम माइंनिग प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर दिनांक 17.05.2012 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त–

सन्दर्भित प्रस्तावित सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्ध हेतु प्रस्ताव उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड मे प्राप्त हुआ था। बोर्ड द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1533दिनांक 14.09.2006 के अनुपालन मे लोक सुनवाई दिनांक 17.05.2012 को आयोजित किये जाने की सूचना अधिसूचना मे वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सुनवाई की तिथि से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र, ''दैनिक अमर उजाला'', एवं अंग्रेजी समाचार पत्र ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' मे दिंनाक 13.04.2012 को प्रकाशित करायी गयी थी।

उक्त के अनुक्रम मे आज दिंनाक 17.05.2012 को जिलाधिकारी बांदा द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) श्री के0एन0सिंह की अध्यक्षता मे प्रातः 10.00 बजे से प्रस्तावित स्थल के समीप ग्राम पहाडिया खुर्द मे लोक सुनवायी आयोजित की गयी।

उक्त लोक सुनवाई मे निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे–

1. श्री के0एन0सिंह (अध्यक्ष/अपर जिलाधिकारी) बांदा।
2. श्री राम गोपाल (क्षेत्रीय अधिकारी) उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड झांसी।
3. डॉ0 टी0एन0सिंह0 (सहायक वैज्ञानिक अधिकारी) उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड झांसी।
4. श्री के0के0 राय (खान अधिकारी) खनिज विभाग बांदा।
5. श्री बी0एन0 चौधरी उप महाप्रबन्धक मे0 ग्रास रूट्स रिसर्च एण्ड क्रिएशन (इंडिया) प्रा0लि0 नोएडा।
6. श्री आशीष कुमार वर्मा उप प्रबन्धक मे0 ग्रास रूट्स रिसर्च एण्ड क्रिएशन (इंडिया) प्रा0लि0 नोएडा।

उपस्थित अन्य सदस्यों की छायाप्रति संलग्न है कार्यक्रम के प्रारम्भ मे राम गोपाल क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड झांसी द्वारा अध्यक्ष महोदय से लोक सुनावाई प्रारम्भ करने की अनुमति लेने के पश्चात प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध मे उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराया गया। प्रकाशन की तिथि से लोक सुनवाई की तिथि तक किसी भी व्यक्ति/संस्था से लिखित आपत्ति एवं सुझाव बोर्ड को प्राप्त नही हुआ है। पर्यावरण प्रस्ताव पर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करने वाली संस्था मे0 ग्रास रूट्स रिसर्च एवं क्रिएशन प्रा0लि0 नोएडा के परामर्शी को

पर्यावरण प्रभाव के सम्बन्ध मे प्रोजेक्टर के माध्यम से विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने तथा पर्यावरण प्रबन्ध योजना के महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर प्रकाश डालने हेतु निर्देश दिये गए। निर्देशो के अनुपालन मे परामर्शी द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से उपस्थित जन समुदाय को विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड झांसी द्वारा उपस्थित जन समुदाय को परियोजना के सम्बन्ध मे यदि कोई आपत्ति/सुझाव/ टीका टिप्पणी इत्यादी हो तो क्रम से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

1. सर्वप्रथम ग्राम पहाडिया खुर्द के श्री इन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री साधू सिह द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल पर पूर्व मे संचालित सेण्ड/मौरम खनन पट्टे के संचालन से उडने वाली धूल से आस पास की फसले नष्ट हो जाती थी। तथा उक्त पट्टे का सीमांकन नही होने के कारण अन्य भूमिधरों के खेतो से ठेकेदार द्वारा बालू का खनन कर लिया जाता था। अतः खनन पट्टे का सीमांकन पांच सदस्यीय टीम से कराने के पश्चात ही खनन अनुमति पट्टेदार को दिया जाये तथा उडने वाली धूल को नियन्त्रण के लिए पट्टेदार द्वारा रास्ते मे पानी का छिडकाव भी अवश्य कराया जाय।

   परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरण प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत धूल के नियन्त्रण हेतु पानी के छिडकाव की व्यवस्था की जायगी, तथा तहसील/खनिज विभाग के माध्यम से प्रस्तावित पट्टे का सीमांकन पांच सदस्य लेखपालों व हलका राजस्व निरीक्षक की टीम द्वारा करा लिया जायेगा।

2. पुनः श्री इन्द्रपाल सिंह द्वारा खनन पट्टे के मध्य से निमार्णाधीन सेतु जो ओरन से राजापुर मार्ग पर बागे नदी पर बनाया जा रहा है, के आसपास खनन किये जाने से सेतु पर पडने वाले खतरे के सम्बन्ध मे आगाह किया गया। तथा उपस्थित अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया कि सेतु के दोनो तरफ निर्धारित दूरी के बाद ही खनन का कार्य किया जाय।

   उपस्थित परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि सेतु के दोनो तरफ 50मी0 की दूरी तक खनन कार्य प्रतिबन्धित रहेगा। उपस्थित अध्यक्ष महोदय द्वारा भी उक्त से सहमति व्यक्त की गयी। सम्प्रति निर्माणाधीन पुल का खतरा न हो इसलिए उ0प्र0 सेतु निगम से भी पट्टा स्वीकृति के पूर्व पुल से दूरी के बारे मे उनकी एन0ओ0सी0 भी प्राप्त कर लिया जाना उचित होगा।

3. श्री शारदा प्रसाद सिंह पुत्र श्री सदाशिव सिंह ग्राम पहाडिया खुर्द बांदा द्वारा पूछा गया कि खनन से जनित वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर पडने वाले सम्भावित कुप्रभाव जैसे दमा की बिमारी आदि को रोकने हेतु कौन–कौन से उपाय किये जायेगें, साथ ही भारी वाहनो

के आवागमन से सम्भावित दुर्घटना से जन क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु क्या प्राविधान है ? उपस्थित परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि वाहनो के आवागमन से एवं खनन से जनित धूल के नियन्त्रण हेतु पानी छिडकाव की व्यवस्था की जायेगी तथा वाहनो से उडने वाली धूल के नियन्त्रण हेतु त्रिपाल से ढक कर सैण्ड/मौरग का परिवहन किया जायेगा। वाहनो के आवागमन से यदि कोई दुर्घटना होती है तो कार्यस्थल पर प्राथमिक चिकित्सा का प्राविधान किया जायेगा तथा गम्भीर स्थिति मे आस–पास के चिकित्सा केन्द्रो पर उपचार कराया जायेगा एवं नियमानुसार क्षतिपूर्ति दी जायेगी।

4. श्री श्याम चन्द्र सिंह पुत्र श्री राजनारायण सिंह द्वारा पूछा गया कि खनन ठेकेदार द्वारा दिन–रात मे 24 घण्टे खनन/परिवहन का कार्य किया जाता है जिससे रात मे खनन/परिवहन कार्य से दुर्घटना की सम्भावना होती है। उक्त खनन/परिवहन को रात मे नही किये जाने हेतु क्या प्राविधान है ?

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि रात्रि मे खनन/परिवहन का कार्य प्रतिबन्धित है। यदि कार्य स्थल पर उक्त कार्य किया जाता पाया गयां तो जिलाधिकारी/खनिज अधिकारी को इस सम्बन्ध मे लिखित शिकायत प्रेषित की जा सकती है तथा चिन्हित होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है।

5. श्री सन्तोष शिवहरे पुत्र श्री जगदेव प्रसाद शिवहरे द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रस्तावित खनन स्थल पर नियमानुसार अनुमति के पश्चात शीघ्र खनन का कार्य प्रारम्भ किया जाये जिससे कि शसन राजस्व की क्षति न हो एवं आस पास के श्रमिको को रोजगार उपलब्ध हो सके।

6. श्री चन्द्रिका प्रसाद द्विवेदी प्रधानपति ग्राम पहाडिया खुर्द द्वारा अवगत कराया गया कि खनन कार्य नही होने से विकास कार्य प्रभावित हो रहा है तथा राजकीय निर्माणाधीन परियोजनाओं मे मौरंग नही मिलने के कारण निर्माण कार्य बन्द हो गया है। खनन कार्य प्रारम्भ होने से उक्त निर्माणाधीन परियोजनाओं को प्रारम्भ किये जाने मे सहायता मिलेगी तथा परियोजना के शीघ्र पूर्ण होने से जनमानस का फायदा होगा।

उपस्थित परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति के पश्चात ही खनन की अनुमति मिल सकेगी।

झांसी द्वारा सन्दर्भित परामर्शी से नदी एवं आस पास के बेसिंन मे बायो मानीटरिंग सही तरीके से नही किये जाने के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया, तथा सुझाव दिया गया कि परियोजना प्रारम्भ होने के पश्चात उक्त नदी की बायोमानीटरिंग पूर्ण कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय मे प्रस्तुत की जायेगी। जिससे कि खनन कार्य से पडने वाले कुप्रभावों का सम्यक मुल्यांकन के पश्चात पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना के सम्बन्ध मे उचित दिशा निर्देश प्राप्त हो सकें।

अन्त मे सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित अध्यक्ष महोदय से परियोजना के पर्यावरणीय घटको पर पडने वाले प्रभावों/ प्रबन्ध योजना, तथा खनन स्थल के आस पास स्थित ग्रामवासियों द्वारा सुझाये गये उपायों/टीका टिप्पणियों/आपत्तियो के सम्बन्ध मे उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा परियोजना के दुष्प्रभावों एवं खनन से सम्बन्धित शंकाओं के सम्बन्ध मे ग्रामवासियों को आवश्यक जानकारी दी गयी। अवगत कराया गया कि नियमानुसार खनन कार्य एवं उससे पडने वाले दुष्प्रभावों का नियमानुसार प्रबन्ध नही किया जाता है तो प्रशासन द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी तथा ग्रामवासियों से प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार निर्णय किया जायेगा जिससे जनसामान्य को कोई असुविधा न हो तथा पर्यावरण किसी भी रूप मे प्रभावित न हो। अन्त मे अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक सुनवाई की समापन की घोषणा की गयी।

उक्त लोक सुनवाई के पश्चात खनन से सेतु पर पडने वाले प्रभाव के सम्बन्ध मे खनन स्थल का निरीक्षण किया गया तथा पाया गया कि खनन पट्टे के मध्य से ओरन राजापुर मार्ग पर बागे नदी पर सेतु निर्माणाधीन है। सेतु की सुरक्षा हेतु सेतु निगम के द्वारा सुझायी गयी पुल से दूरी के पश्चात खनन का कार्य किया जाना उचित होगा।

अतएव सेतु की सुरक्षा हेतु प्रस्तावित खनन पट्टे से निर्धारित दूरी तक के क्षेत्रफल को खनन कार्य से प्रतिबन्धित करने हेतु उपस्थित जनसमुदाय की शिकायतों/सुझावों के सम्बन्ध मे नियमानुसार विचार करते हुये पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर उचित निर्णय लिया जाना समीचीन होगा।

18/5/12

(राम गोपाल)
क्षेत्रीय अधिकारी

18/5/2012

(के0एन0सिंह)
अध्यक्ष/अपर जिलाधिकारी
बांदा